

निर्णय दिनांक 29-3-2019

पंचायत निगरानी सं. 2/2019

(2019/00008)

लादाराम बनाम सवाराम, वगैरह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

29-3-19

प्राथी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई / प्राथी मय वकील उपस्थित / प्राथी लादाराम ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह उक्त निगरानी को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। उक्त निगरानी जोरिये विड्रौवल खारिज की जावे। प्राथी की पहचान उनके वकील श्री तेजसिंह बालावत द्वारा दी गई है।

अतः प्राथी की निगरानी जोरिये विड्रौवल खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सर इजलास मुनायागाया।

(रमनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालौर (राज.)

7
लादाराम

महाराज
जालौर

